:: न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश, अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) ::

पीठासीन न्यायाधीश	:	मुकेश कुमार सोनी **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
दीवानी विविध प्रकरण सं.	:	19/2025
CIS No.	:	19/2025

01. छम्मा बाई पत्नी स्व. कालूलाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी बिन्दा, थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

02. राहुल पुत्र स्व. कालूलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी बिन्दा, थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

03. रोहित पुत्र स्व. कालूलाल, उम्र 22 वर्ष, निवासी बिन्दा, थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

04. मनीषा बाई पुत्री स्व. कालूलाल, पत्नी महावीर, उम्र 28 वर्ष, निवासी हनौति, थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

05. प्रियंका पुत्री स्व. कालूलाल, पत्नी पूरीलाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी थनावद, थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. जनसामान्य।

02. भारतीय जीवन बीमा निगम, कार्यालय झालावाड़, जिला झालावाड़ (राज.)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

<u>उपस्थितः-</u>

01. श्री योगेश कुमार गोयल, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
02. श्री लोकेन्द्र गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 02 की ओर से।

:: आदेश :: दिनांकः-24.03.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05.03.2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थिया सं. 1 के पति एवं प्रार्थीगण 2 लगायत 5 के पिता कालूलाल मीणा पुत्र भागचन्द निवासी बिन्दा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राज. की दिनांक 22.12.2024 को हृदयघात से मृत्यु हो गई है। मृतक कालूलाल द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा पॉलिसियां 01. 187024658

राशि 1,60,000/- 02. 184369351 राशि 50,000/- 03. 187022597 राशि 1,04,530/- 04. 187020294 राशि 1,62,975/- 05. 184369411 राशि 1,00,000/- व 06. 187101163 राशि 2,00,000/- कुल राशि 7,77,505/- रूपये की ले रखी थी। उक्त पॉलिसियों में स्व. कालूलाल द्वारा नॉमिनी पत्नी के रूप में प्रार्थिया सं. 1 छम्मा बाई का घरेलू नाम सीमा बाई लिख दिया था। इस कारण उक्त पॉलिसियों का भुगतान नहीं हो पाया है व अप्रार्थी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेने हेतु पत्र क्रमांक 0145-2660893 दिनांक 13.02.2025 मृत्यु दावा के संबंध में भेजा गया है। प्रार्थीगण 2 लगायत 5 स्व. कालूलाल के पुत्र पुत्रियां है जो प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित बीमा पॉलिसियां सं. 1 लगायत 6 की कुल राशि 7,77,505/- का भुगतान प्रार्थिया सं. 1 छम्मा बाई जो प्रार्थीगण 2 लगायत 5 की माता है एवं स्व. कालूलाल की पत्नी है, को दिलवाने हेतु सहमत हैं। प्रार्थिया सं. 1 का घरेलू नाम सीमा बाई है तथा उक्त दोनों ही नाम प्रार्थिया छम्मा बाई के ही है तथा सभी दस्तावेज, आधार कार्ड में भी प्रार्थिया का नाम छम्मा बाई ही दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र से पूर्व स्व. कालूलाल की जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में किसी भी अन्य न्यायालय में कार्यवाही नहीं की है। अन्त में प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित बीमा पॉलिसियों की राशि 7,77,505/- के सम्बन्ध में प्रार्थी सं. 1 छम्मा बाई के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किया।

2. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर मृतक कालूलाल द्वारा बीमा पॉलिसी लिया जाना स्वीकार किया व कथन किया कि उक्त सभी बीमा पॉलिसियों में नोमिनी का नाम सीमा बाई पत्नी लिखा हुआ है इस कारण बीमा कम्पनी द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पत्र दिया गया है। मृतक की एक अन्य पॉलिसी 187104535 में नोमिनी का नाम छम्मा बाई दर्ज है जिसकी कुल देय राशि 5,12,304/- है। वाद अनुसार उत्पन्न इस मृत्यु दावा में न्यायालय द्वारा घोषित उत्तराधिकारियों को (उत्तराधिकारियों से इस मृत्यु दावा से सबंधित समस्त दावा प्रपत्र संतोषजनक प्राप्त होने पर) मृत्यु दावा दाशि 7,77,505/- देय होगी। बीमा पॉलिसी में नोमिनी श्रीमती सीमा बाई (पत्नी) होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किए गए-

01. आया कालूलाल की दिनांक 22.12.2024 को मृत्यु हो चुकी है और प्रार्थीगण उक्त कालूलाल के उत्तराधिकारी हैं जो प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित बीमा पॉलिसी की राशि का भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

02. अनुतोष?

4. साक्ष्य प्रार्थी में साक्षी क्रमांक 1 छम्मा बाई व साक्षी क्रमांक 2 रोहित मीणा के बयान लेखबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में भारतीय जीवन बीमा निगम का पत्र प्रदर्श 1, मृत्यु प्रमाण पत्र कालूलाल प्रदर्श 2, समाचार पत्र प्रकाशन प्रदर्श 3 को प्रदर्शित करवाया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

5. बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के अनुरूप निवेदन किया कि प्रार्थीगण पॉलिसी धारक मृतक कालूलाल के पत्नी, पुत्र-पुत्रियां हैं। उसकी पॉलिसियों में नोमिनी पत्नी छम्मा बाई घरेलू नाम सीमा बाई अंकित है। प्रार्थीगण मृतक कालूलाल के विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते पॉलिसियों की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थी सं. 1 छम्मा बाई के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति दी है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर छम्मा बाई को मृतक कालूलाल की बीमा पॉलिसियों की राशि प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाए जिसके लिए निर्धारित न्याय शुल्क प्रस्तुत करने के लिए वे तैयार हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने उत्तराधिकारियों से इस मृत्यु दावा से सबंधित समस्त दावा प्रपत्र संतोषजनक प्राप्त होने पर मृत्यु दावा दाशि 7,77,505/- देय होने का कथन किया है। अप्रार्थी सं. 1 जनसामान्य की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

6. सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया। साक्ष्य में प्रार्थी साक्षी क्रमांक 1 छम्मा बाई ने मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश किया है और सशपथ कथन में प्रार्थना-पत्र के तथ्यों की पुष्टि की है। साक्षी ने भारतीय जीवन बीमा निगम का पत्र प्रदर्श 1, मृत्यु प्रमाण पत्र कालूलाल प्रदर्श 2, समाचार पत्र प्रकाशन प्रदर्श 3 को प्रदर्शित करवाया है। प्रतिपरीक्षा

में स्वीकार किया है कि उसका नाम छम्मा बाई है। यह स्वीकार किया है कि उसके पास सीमा बाई नाम का कोई दस्तावेज नहीं है। इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसके पति ने सीमा बाई नाम की किसी महिला से शादी कर रखी हो व उसके पति के दो पत्नियां हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसने बीमा राशि लेने के झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है।

7. प्रार्थी साक्षी क्रमांक 2 रोहित ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को दोहराया है और प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को गलत बताया कि उसके पिता कालूलाल ने दो शादियां कर रखी हो व सीमा नाम की महिला से शादी कर रखी हो। यह स्वीकार किया है कि उसने छम्मा बाई व सीमा बाई का नाम एक ही महिला का हो ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया, स्वतः कहा कि उसकी मम्मी का घरेलू नाम सीमा बाई है।

8. प्रकरण में यह विवादित नहीं है कि मद सं. 2 में वर्णित मृतक कालूलाल की छः जीवन बीमा पॉलिसी हैं जिनका भुगतान देय है। विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि अप्रार्थी जीवन बीमा निगम के अनुसार उक्त बीमा पॉलिसियों में नोमिनी का नाम सीमा बाई अंकित है। इस संदर्भ में प्रार्थिया छम्मा बाई ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह मृतक कालूलाल की पत्नी है। प्रार्थिया के पुत्र साक्षी क्रमांक 2 रोहित ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है और प्रतिपरीक्षा में इसका खण्डन नहीं हुआ है। प्रार्थी साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि छम्मा बाई का घरेलू नाम सीमा बाई भी है। दस्तावेजी साक्ष्य में मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 में उसकी पत्नी का नाम छम्मा बाई अंकित है। पत्रावली में संलग्न प्रार्थिया छम्मा बाई के आधार कार्ड में उसके पति का नाम कालूलाल होना दर्शित होता है। इसके अतिरिक्त बहस के स्तर पर प्रार्थीगण की ओर से मृतक कालूलाल के पेंशन के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर निदेशालय के पत्र की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसमें मृतक कालूलाल की पेंशन उसकी पत्नी छम्मा बाई को दिये जाने का उल्लेख है।

9. अप्रार्थी निगम के जवाब प्रार्थना पत्र में यह अभिकथन है कि मृतक की एक अन्य पॉलिसी 187104535 में नोमिनी का नाम छम्मा बाई

दर्ज था और न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष द्वारा उक्त पॉलिसी की राशि का भुगतान प्रार्थिया छम्मा बाई को होने का अभिकथन किया है।

10. इस प्रकार प्रार्थीगण की साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि प्रार्थिया छम्मा बाई मृतक कालूलाल की पत्नी है। स्वयं अप्रार्थी निगम के जवाब में छम्मा बाई को मृतक कालूलाल की पत्नी होना स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी जीवन बीमा निगम के पत्र प्रदर्श 1 से दर्शित होता है कि निगम द्वारा मृतक कालूलाल के प्रश्नगत बीमा पॉलिसियों के दावा राशि बाबत प्रार्थिया छम्मा बाई को यह पत्र जारी कर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

11. प्रकरण में जनसामान्य के विरूद्ध सार्वजनिक तामील समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई है और किसी भी व्यक्ति ने न्यायालय में उपस्थित होकर सीमा बाई नामक किसी स्त्री का अस्तित्व या वैध उत्तराधिकारियों के दावे का खण्डन करने वाला कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है।

12. प्रार्थीगण के अनुसार उन्हें पॉलिसी की राशि प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और वे कालूलाल के विधिक उत्तराधिकारी हैं। प्रार्थीगण की साक्ष्य में प्रस्तुत उक्त तथ्यों का काई खण्डन नहीं हुआ है और प्रार्थना पत्र व इसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का न्यायालय के समक्ष कोई आधार नहीं है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। एेसी स्थिति में केवल प्रश्नगत जीवन बीमा पॉलिसियों में नोमिनी का नाम सीमा बाई अंकित होने के कारण प्रार्थीगण को उनके पति/पिता की बीमा पॉलिसी की राशि से वंचित किये जाने के कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

13. अतः उपर्युक्त समस्त विवेचना से यह साबित पाया जाता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित मृतक कालूलाल की जीवन बीमा पॉलिसी की राशि को प्राप्त करने के लिए मृतक कालूलाल के वैध उत्तराधिकारी है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी संख्या 1 के हक में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का निवेदन किया है और सहमति प्रकट की है इसलिए प्रार्थी संख्या 1 छम्मा बाई प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित बीमा पॉलिसी की राशि को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है।

आदेश

14. अतः प्रार्थीगण 01. छम्मा बाई पत्नी स्व. कालूलाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी बिन्दा, थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.), 02. राहुल पुत्र स्व. कालूलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी बिन्दा, थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.), 03. रोहित पुत्र स्व. कालूलाल, उम्र 22 वर्ष, निवासी बिन्दा, थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.), 04. मनीषा बाई पुत्री स्व. कालूलाल, पत्नी महावीर, उम्र 28 वर्ष, निवासी हनौति, थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) व 05. प्रियंका पुत्री स्व. कालूलाल, पत्नी पूरीलाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी थनावद, थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण जन सामान्य आदि स्वीकार किया जाता है एवं **प्रार्थी संख्या 1 छम्मा बाई** को मृतक कालूलाल की भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा पॉलिसियों 01. 187024658 राशि 1,60,000/- 02. 184369351 राशि 50,000/- 03. 187022597 राशि 1,04,530/- 04. 187020294 राशि 1,62,975/- 05. 184369411 राशि 1,00,000/- व 06. 187101163 राशि 2,00,000/- की परिपक्वता कुल राशि 7,77,505/- रूपये एवं उस पर संदेय अन्य परिलाभ, यदि कोई हो, को प्राप्त करने का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। प्रार्थीगण प्रकरण की विषय वस्तु उक्त धनराशि के सम्बन्ध में देय समुचित न्याय-शुल्क पेश करें, तदुपरांत प्रार्थिया छम्मा बाई के पक्ष में नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर जिला न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

15. यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित- मुद्रांकित किया गया एवं विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर जिला न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL WAJID CHISTY
Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by ABDUL WAJID CHISTY
Date: 2026.03.25 13:19:39 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।